न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 225/2016 **दायरा दिनांक : 01.01.2016**

उनवान

1– चुन्नीलाल पुत्र श्री नेमीचन्द, जाति खारवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

2– कन्हैयालाल पुत्र श्री नेमीचन्द, जाति खारवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

3– नारायणसिंह पुत्र श्री नेमीचन्द, जाति खारवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– ग्राम पंचायत गूगोर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गूगोर

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

3– श्रीमान जिला कलेक्टर, महोदय बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.12.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 76/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम खोखई, तहसील छबडा, जिला बारां में स्थित है, जिसे वादीगण पीढ़ी दर पीढ़ी काश्त करते आ रहे हैं । सन् 1953 में यह आराजी शंकर लाल व नेमी चन्द के अतिक्रमण में दर्ज थी जिसके कारण आराजी का आवंटन शंकरलाल और नेमीचन्द के नाम हुआ और शंकरलाल और नेमीचन्द दोनों सगे भाई थे । शंकरलाल के कोई संतान नहीं थी व नेमीचन्द के साथ ही निवास करते थे । रेवेन्यू कर्मचारी की गलती के कारण इस आराजी का इन्द्राज जमाबंदी में नहीं हो पाया । नेमीचन्द ने इस आराजी को काबिल काश्त बनाया और काश्त करता चला आ रहा है । दिनांक 15.06.1967 को नायब तहसीलदार छबडा, सरपंच ग्राम पंचायत ने आराजी ग्राम पंचायत हलगना के नाम आवंटित कर दी । ग्राम पंचायत हलगना ग्राम पंचायत गूगोर में मर्ज हो गयी है, इस कारण जमीन ग्राम पंचायत गूगोर के नाम दर्ज हो गयी हे । आराजी पर कभी भी ग्राम पंचायत हलगना या ग्राम पंचायत गूगोर का कब्जा नहीं रहा है । आराजी वादीगण के कब्जे में है । सरपंच ने रंजिशवश आराजी ग्राम पंचायत को आवंटित करवायी है । आवंटन कमेटी में मात्र दो सदस्य उपस्थित थे । इस कारण आवंटन निरस्तनीय है । सरपंच को ग्राम पंचायत के नाम आवंटन कमेटी के सदस्य के रूप में आवंटन का अधिकार नहीं था । नायब तहसीलदार आवंटन कमेटी का सदस्य नहीं होता है । अतः आवंटन दिनांक 15.06.1967 निरस्त होने योग्य है । दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी वादी के खाते दर्ज की जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर अपने निर्णय दिनांक 27.01.2016 से दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आवंटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 02.11.2012 से निरस्त किया है । तनकी नम्बर 2 का निर्णय अपीलांट के पक्ष में हो चुका है फिर भी दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया है । क्रियात्मक आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को हिदायत दी है कि आवंटन कमेटी के समक्ष उपस्थित हो, जबकि उन्हें पत्रावली नियमन कमेटी के समक्ष भिजवाने के आदेश देने चाहिए थे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.04.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तनकी नम्बर 2 अपीलांट के पक्ष में तय की हे । पिछले 40 वर्षों से अपीलांट का कब्जा है फिर भी दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को आवंटन की सिफारिश करते हुए प्रकरण आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर वादग्रसत आराजी के नियमन हेतु यथोचित आदेश पारित किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि सरकारी आराजी का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा ही किया जा सकता है न कि पीठासीन अधिकारी की हैसियत से उपखण्ड अधिकारी के द्वारा । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2026–29 खाता संख्या 1 सलंग्न है जो कि सरकारी भूमियों से सम्बन्धित है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2014–17 की प्रति भी सलंग्न की गई है । जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 1 की प्रति सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 59 नदियां नाला बहेड के रूप में चारागाह हेतु सरकार के खाते में दर्ज है और खसरा नम्बर 59/1 रकबा 15 बीघा बंजड के रूप में सरकार के खाते में दर्ज है । नोटिस 80 सी पी सी, डाक विभाग की रसीद भी पत्रावली पर सलंग्न है । इसके अलावा आवंटन कमेटी के निर्णय की फोटो प्रति दिनांक 15.06.1967 सलंग्न की गई है । ये न तो प्रमाणित प्रति है और न ही इसको प्रदर्श करवाया गया है । इसके अलावा अन्य कुछ दस्तावेज की प्रतियां पत्रावली पर सलंग्न है । पत्रावली पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 02.11.2012 की प्रमाणित प्रति भी सलंग्न है । पत्रावली पर बयान कन्हैया लाल, हीरा सिंह और पन्ना लाल कराये गये हैं । किसी भी बयान पर पी डब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं किया गया है और न ही दस्तावेज को प्रदर्श करवाया गया है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय करते हुए वादी का दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर उन्हें आवंटन कमेटी के समक्ष आवंटन एवं नियमन की कार्यवाही हेतु निर्देश दिये हैं । इस निर्णय के खिलाफ अपील अपीलांट ने यह कथन करते हुए पेश की है कि आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य उपखण्ड अधिकारी होते हैं, अतः नियमन की सिफारिश करते हुए नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था । हम विद्वान अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह पीठासीन अधिकारी की हैसियत से ही किया गया है न कि आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य की हैसियत से । यदि आवंटन सलाहकार समिति आराजी के आवंटन के बाबत कोई उद्‌घोषणा जारी करती है तो अपीलांट आराजी के आवंटन हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं और कमेटी भू आवंटन नियम 1970 के अनुसरण में उस पर यथोचित निर्णय पारित कर सकती है । पीठासीन अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी आवंटन सलाहकार समिति को किसी प्रकार का निर्देश देने की अधिकारिता नहीं रखते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा